निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 589/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

श्री रामावतार पुत्र श्री नारायण लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम टांकरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर। हाल निवासी एफ–3, गणेश नगर, इन्द्रा कॉलोनी, चौमूं, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी चौमूं, जिला जयपुर।
2. श्री रामगोपाल शर्मा पुत्र स्व. श्री नारायण लाल, निवासी ग्राम टांकरडा, तहसील चौमूं, जयपुर हाल निवासी 5/15, ढेहर का बालाजी, जयपुर।
3. श्री तेजपाल पुत्र श्री जोधाराम जाति अहीर, निवासी ग्राम आलीसर, चौमूं, जयपुर।
4. श्री राधेश्याम पुत्र श्री नारायण लाल, जाति अहीर(यादव), निवासी ग्राम पोखरसा का बास, तहसील आमेर, जयपुर।
5. श्री रामकिशोर पुत्र श्री रामचन्द्र,
6. श्री राधेश्याम पुत्र श्री रामचन्द्र,
   जाति अहीर(यादव) निवासी ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमूं, जयपुर।
7. उप पंजीयक तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र विरूद्व उपखण्ड अधिकारी चौमूं, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 79/2025 ब उनवानी रामगोपाल शर्मा बनाम तेजपाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत।

श्री के. सी. कुमावत, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
श्री राहुल कुमावत, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय **दिनांक 18.09.2025**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी चौमूं, जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 79/2025 ब उनवानी रामगोपाल शर्मा बनाम तेजपाल व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी चौमूं से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राहुल कुमावत ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा, घोषणा पेश किया हुआ है। प्रार्थी/प्रतिवादी पर वाद के नोटिस की तामील होने पर प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी/वादी के वाद का जवाब प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी/वादी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए पक्षकारान को पाबंद करते हुए दिनांक 08.04.2025 को आदेश पारित किया गया कि पक्षकारान मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थी/वादी संख्या 2 ऊंचे रसूखात एवं राजनैतिक पहुंच वाला व्यक्ति है तथा पीठासीन अधिकारी से मिलकर उक्त वाद को स्वयं के पक्ष में जल्द से जल्द निस्तारित करवाने पर आमादा है। मिन प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी/वादी को कई बार पीठासीन अधिकारी के चेम्बर मे आंते-जाते देखा गया है तथा अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थी को कई मर्तबा धमकियां दी जा चुकी है, उसने पीठासीन अधिकारी से बात कर रखी है तथा वह जल्द ही उक्त वादग्रस्त आराजी का तकासमा अपने हक में करवाकर रहेगा तथा पीठासीन अधिकारी भी प्रकरण में जल्दी-जल्दी तारीख पेशियां देकर वाद को आनन-फानन में अप्रार्थी/वादी के पक्ष में निस्तारित करने पर उतारू है। पीठासीन अधिकारी का व्यवहार व उनके द्वारा शीघ्र फैसला करने पर आमादा होने के तथ्यों से प्रार्थी को ऐसा अंदेशा हो रहा है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी/वादी से मिल गए है और प्रकरण में प्रार्थी को न्याय मिलने की कतई संभावना नहीं रही है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु स्थानान्तरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब कारित करने की मन्शा से झूंठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने के आदेश फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी चौमूं के पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है, प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमूं को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 18.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर